कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

//निविदा आमंत्रण सूचना//

मार्ग विभाजक के ट्यूबलर पोलों में लघु विज्ञापन बोर्ड लगाने व विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु

क्रमांक – 1160/भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2020 रायपुर दिनांक 15/09/2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायपुर अन्तर्गत के डिवाइडर पर लगे ट्यूबलर पोलों में लघु विज्ञापन बोर्ड लगाने व विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी, जो नगर निगम रायपुर में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में **दिनांक** 14/10/2020 को **अपरान्ह 5.00 बजे** तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार एजेंसी का नगर निगम रायपुर क्षेत्र में लगाये गये निजी बोर्डो का कोई बकाया नहीं होना चाहिए, इस संबंध में एजेंसी को बकाया नहीं होने का स्वप्रमाणित पत्र जमा करना होगा। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में रहेगी, जिसके अन्तर्गत **लिफाफा 'अ' में** (1) अमानत राशि का FDR/DD, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं (7) बकाया नहीं होने संबंधी स्वप्रमाणित पत्र। **लिफाफा 'ब' में** निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का FDR/DD, निविदा प्रपत्र का डी.डी. व एवं विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड, जी.एस. टी. रजिस्ट्रेशन व आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होने संबंधी स्व प्रमाणित पत्र, पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष **दिनांक** 15/10/2020 को **अपरान्ह 5.00 बजे** को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा के रूम नं. 311 में जमा की जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	एक हजार रूपयें, वापसी योग्य नहीं
निविदा अवधि	03 वर्ष
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन

क्र.	मार्ग का नाम	ट्यूबलर पोलों की संख्या	न्यूनतम आफसेट राशि (01 वर्ष)	अमानत राशि
1.	कचहरी चौक से न्यू बस स्टैण्ड होते हुए अवन्तिबाई चौक तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो साइन बोर्ड, बोर्ड की साइज 2'6''X4'6'')	**46**	**15,68,717/-**	4.00 लाख
2.	फाफाडीह चौक से स्टेशन चौक होते हुए तेलघानी नाका चौक तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो साइन बोर्ड, बोर्ड की साइज 2'6''X4'6'')	**33**	9,32,461/-	
3.	एस.आर.पी. चौक से अशोकाटावर अनुपम नगर होते हुए टी.वी. टॉवर तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो साइन बोर्ड, बोर्ड की साइज 2'6''X4'6'')	**55**	**13,80,207/-**	
4.	रविशंकर विश्वविद्यालय गेट से धुप्पड़ पेट्रोल पंप होते हुए जयस्तंभ चौक तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो साइन बोर्ड, बोर्ड की साइज 2'6''X4'6'')	**98**	**19,99,706/-**	

टीपः–निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्ते एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू. 1000/– का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

नगर पालिक निगम नगर निवेश विभाग रायपुर

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

Scanned by CamScanner

निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– नगर निगम रायपुर क्षेत्रान्तर्गत के रोड डिवाईडरों में लगे ट्यूबलर पोलों पर लघु विज्ञापन बोर्ड लगाने व विज्ञापन प्रदर्शित करने बाबत्।

संदर्भ :– नगर निगम रायपुर द्वारा जारी निविदा क्र................जारी दिनांक ....।

–––000–––

क्र.	मार्ग का नाम	ट्यूबलर पोलों की संख्या	न्यूनतम आफसेट राशि (एक वर्ष)	निविदा दर प्रथम वर्ष के लिए (राशि रू. में)
1.	कचहरी चौक से न्यू बस स्टैण्ड होते हुए अवन्तिबाई चौक तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो साइन बोर्ड, बोर्ड की साइज 2'6''X4'6'')	46	15,68,717/-	
2.	फाफाडीह चौक से स्टेशन चौक होते हुए तेलघानी नाका चौक तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो साइन बोर्ड, बोर्ड की साइज 2'6''X4'6'')	33	9,32,461/-	
3.	एस.आर.पी. चौक से अशोकाटावर अनुपम नगर होते हुए टी.वी. टॉवर तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो साइन बोर्ड, बोर्ड की साइज 2'6''X4'6'')	55	13,80,207/-	
4.	रविशंकर विश्वविद्यालय गेट से धुप्पड़ पेट्रोल पंप होते हुए जयस्तंभ चौक तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो साइन बोर्ड, बोर्ड की साइज 2'6''X4'6'')	98	19,99,706/-	

निविदा की समस्त शर्तो का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्ते हमें मंजूर है। **जिसके अनुसार निविदा दर में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है।** मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नही है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :–

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :–

पूर्ण पता :–

दूरभाष क्र. एवं मोबाइल क्र. :–

अमानति राशि रू. 4.00 लाख के एफ.डी.आर./DD का विवरण :–

Scanned by CamScanner

मार्ग विभाजक में लगे ट्यूबलर पोलों में लघु विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु आमंत्रित निविदा की शर्तें -

1. निविदा द्वि–लिफाफा पद्धति से होगा। लिफाफा 'अ' (1) अमानत राशि का FDR/DD, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं (7) किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होने संबंधी स्वप्रमाणित पत्र रखना होगा। **लिफाफा 'ब'** में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखकर रखना होगा। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। **लिफाफा 'अ' में समस्त आवश्यक/वैध दस्तावेज पाये जाने पर ही लिफाफा'ब' (निविदा दर का लिफाफा) खोला जायेगा।**
2. निविदा हेतु प्रत्येक निविदाकार को एक निविदा फार्म भरना होगा, जिसमें सभी अलग–अलग ग्रुपों (मार्गो) हेतु अलग–अलग निविदा दर भरना होगा। प्रत्येक मार्ग में जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम् दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जायेगा अर्थात् 04 अलग–अलग मार्ग हेतु 04 सफल निविदाकार हो सकते है।
3. निविदा हेतु अमानती राशि रू. 4.00 लाख का डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो जीवित हो, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
4. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. को नियमानुसार सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के पश्चात् मुक्त किया जा सकेगा एवं सफल निविदाकार के एफ.डी.आर. को सफल संचालन एवं संधारण के साथ निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत, नियमानुसार वापस किया जा सकेगा।
5. निविदा खोले जाने के समय स्वयं निविदाकर्ता अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा। निविदाकर्ता का नाम किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए ।
6. **दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 30% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानती राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी। निविदा अनुबंध करा लेने के बाद ही विज्ञापन कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा, इस हेतु निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा। कार्यादेश जारी दिनांक से एक माह की अवधि बोर्ड लगाने हेतु दी जायेगी, तत्पश्चात् अर्थात् कार्यादेश जारी दिनांक से एक माह पश्चात् किराया लागू माना जावेगा। स्थल पर उपलब्ध पोलों/बोर्ड की संख्या के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटी होने पर, निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को इसकी सूचना कार्यादेश जारी दिनांक से 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा, समयावधि के पश्चात् इस संबंध में प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी अवधि में प्रदर्शन न कर पाने की स्थिति में निगम जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित प्रदर्शन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।**
7. निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकार विज्ञापन एजेन्सी द्वारा उस ग्रुप हेतु, निविदा प्रपत्र में निर्धारित लघु विज्ञापन बोर्ड (क्योस्क) की पूरी संख्या का पूर्ण किराया (वार्षिक) देना होगा। निर्धारित स्थल व निर्धारित संख्या से कम संख्या में बोर्ड लगाने की स्थिति में वैकल्पिक स्थल का चयन किया जावेगा। वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने पर नहीं लगाये गये विज्ञापन बोर्ड के किराये की राशि का समायोजन अगले वर्ष के किरायें में किया जावेगा। निर्धारित संख्या से अधिक लघु विज्ञापन बोर्ड बिना अनुमति के लगाये जाने पर अनुपातिक राशि का 2 गुना अतिरिक्त जमा करना होगा तथा उचित पाये जाने उस बोर्ड की अनुमति दी जावेगी अथवा तत्काल उसे हटाना होगा।
8. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु अनुबंध 03 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 05 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 01 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा न कराये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।

क्रमशः पृष्ठ....02

Scanned by CamScanner

9. सभी मार्ग हेतु निविदाएं 03 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है। परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में एक वर्ष के लिए भरनी होगी। निविदा स्वीकार होने पर अनुबंध के पूर्व दर स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराये राशि का 30% राशि तथा शेष राशि सूचना प्राप्ति के 2 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 2 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जा कर अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।

10. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु इकरारनामा 03 वर्ष तक के लिए होगी तथा अवधि पश्चात् दी गई अनुमति स्वमेव ही समाप्त हो जायेगी अवधि समाप्त होने पर स्वयं के व्यय पर विज्ञापन बोर्ड हटाना होगा अन्यथा नगर निगम के द्वारा जप्त कर लिया जावेगा।

11. लघु विज्ञापन बोर्ड निविदा सूचना में दर्शाये गये साईज का प्रत्येक ग्रुप में निर्धारित सड़को पर स्थित मार्ग विभाजक पर लगे हुए पोल पर लगाये जा सकेगें। प्रत्येक ग्रुप में मार्ग विभाजकों के पोल में लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्डो की संख्या एवं स्थान निर्धारित किया गया है एवं इनकी सूची निविदा प्रपत्र में दर्शित है। भविष्य में स्थल पर पोलों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत पोलों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी। वृद्धि किये गये पोलों हेतु स्वीकृत निविदा राशि अनुसार राशि जमा किया जाना होगा।

12. अनुबंध पश्चात लघु विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु चयनित स्थल का प्रभारी अधिकारी द्वारा अवलोकन किया जायेगा एवं स्वीकृति उपरान्त ही लघु विज्ञापन बोर्ड लगाया जा सकेगा।

13. प्रत्येक मार्ग विभाजक पर स्थापित पोल पर लघु विज्ञापन बोर्ड दोनो ओर अर्थात आगे एवं पीछे फेस में लगाया जा सकेगा।

14. मार्ग विभाजक में लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड की चौड़ाई एवं लम्बाई में बोर्ड के चारों ओर एक इंच चौडी रेडियम की पट्टी लगाना होगा।

15. लगाये गये लघु विज्ञापन बोर्ड में जगह निर्धारित कर "मोर रायपुर" का लोगो प्रिंट करके लगाना अनिवार्य होगा तथा बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त बोर्ड पर "मोर रायपुर" का लोगो वाला फ्लैक्स लगाना अनिवार्य होगा।

16. **स्वीकृत ग्रुप के प्रत्येक मार्ग के प्रथम एवं अंतिम पोल पर लगाये गये लघु विज्ञापन बोर्ड (क्योस्क) के नीचे अथवा ऊपर, स्थान निर्धारित कर, कार्यालय द्वारा जारी अनुमति का कमांक, दिनांक, एजेंसी का नाम, मोबाईल नम्बर एवं अनुमति वैधता की अंतिम तारीख लिखकर चस्पा करना अनिवार्य होगा अन्यथा अवैध बोर्ड मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।**

17. मार्ग विभाजक के ट्यूबलर पोलों में लगाये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड से यातायात किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होनी चाहिएं, यातायात प्रभावित होने की स्थिति में दी गई अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

18. किसी भी विभाग द्वारा लगाया जाने वाला समस्त कर निविदाकार विज्ञापन एजेन्सी के द्वारा देय होगा।

19. किसी भी मार्ग में लगाये गये लघु विज्ञापन बोर्ड की अनुमति कभी भी निरस्त करने का अधिकार आयुक्त को होगी।

20. निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का होगा।

21. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अनुबंध का उल्लघंन करने पर एक माह की सूचना पर आयुक्त नगर निगम द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

22. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित एजेंसी आयुक्त नगर निगम रायपुर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा एवं आयुक्त नगर निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

23. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये गये लघु विज्ञापन बोर्ड के कारण होने वाले प्राकृतिक एवं आकस्मिक तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुघर्टनाओ हेतु विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। इसमें होनी वाली जन–धन की हानि हेतु क्षतिपूर्ती संबंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा वहन की जावेगी तथा विज्ञापन एजेन्सी को इस आशय का वचनबंध पत्र नगर निगम को निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के पूर्व देना होगा।

कमशः पृष्ठ....03

Scanned by CamScanner

24. स्वच्छता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं विवाद की स्थिति में किसी भी लघु विज्ञापन बोर्ड को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना देकर आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती हेतु संबंधित विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी।

25. यह कि निविदाकर्ता को शासन/नगर पालिक निगम, रायपुर की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

26. यह कि शासन एवं नगर निगम रायपुर द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से विकृत/अश्लील/आपत्ति जनक लेख से संबंधित एवं अन्य किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक विज्ञापन, लघु विज्ञापन बोर्ड पर प्रदर्शित नही किया जायेगा अन्यथा तत्काल बगैर सूचना के आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटा दिये जायेगें तथा इसमें होनी वाली दण्ड, हानि, हटाने का व्यय एवं सभी प्रकार की क्षतिपूर्ती विज्ञापन एजेन्सी से वसूल किया जायेगा।

27. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेंसी को नगर निगम में जमा कराना होगा, तत्पश्चात् ही उनके पक्ष पर विचार किया जा सकेगा।

28. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु शासन के किसी अन्य विभागों से अनापत्ति आवश्यक होने पर संबंधित विज्ञापन एजेन्सी को ही ऐसी अनापत्ति प्राप्त कर नगर निगम में जमा कराना होगा।

29. विज्ञापन बोर्ड लगाते समय, निकालते समय एवं मरम्मत करते समय निगम की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नही होना चाहिए। इसकी सुरक्षा की समस्त जवाबदारी विज्ञापन एजेंसी की होगी एवं संबंधित से क्षतिपूर्ती राशि नगर निगम के द्वारा वसूल की जायेगी।

30. लघु विज्ञापन बोर्ड हेतु आवश्यकता अनुसार विद्युत कनेक्शन लेने की स्थिति में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वतः के व्यय पर विद्युत मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करते हुए पृथक से मीटर लगवाना होगा जिसका मासिक बिल विज्ञापन एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा। ऐसे विद्युतिकृत लघु विज्ञापन बोर्ड पूर्णतः सुरक्षित ढ़ंग से विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये जायेगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दुघर्टना आदि होने पर समस्त जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेन्सी की होगी। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिशियन/हेल्पर एवं कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना होगा तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र भी देना होगा।

31. यातायात संबंधित नियमों एवं निर्देशो का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा विज्ञापन कार्य हेतु यातायात विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

32. निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त द्वारा लिये गये निर्णय बंधनकारी एवं अंतिम होंगे।

33. लघु विज्ञापन बोर्ड व उसकी संपूर्ण संरचना तथा उस पर विज्ञापित, प्रदर्शित सामग्री से किसी व्यक्ति, संस्था की संपत्ति, यातायात व सड़क के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा, अवरोध दृष्टिबाधा तथा उससे किसी प्रकार के चमकीला परावर्तन नही होना चाहिए।

34. लघु विज्ञापन बोर्ड में प्रदर्शित विज्ञापन सामग्री किसी भी प्रकार से अशोभनीय, अश्लील, अशिष्ट सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिकूल, सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुचाने वाली, अभद्र, अमंगलकारी तथा भ्रामक नहीं होनी चाहिए।

35. लघु विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक स्क्रीन वाली, चलायमान तत्व (Moving Articles) तथा शोर (Noise) उत्पन्न करने वाली सामग्री प्रदर्शित नही की जाएगी।

36. लगाये गये लघु विज्ञापन बोर्ड के ऊपर या नीचे किसी राजनीतिक पार्टी/संगठन/संस्था या किसी व्यक्ति के फ्लैक्स लगाये जाने पर इस कार्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

37. लघु विज्ञापन बोर्ड से किसी व्यक्ति/संस्था अथवा आम नागरिको को किसी प्रकार के पर्यावरण के प्रतिकूल, शारिरिक अथवा मानसिक परेशानी नही होनी चाहिए।

38. लघु विज्ञापन बोर्ड में किसी भी संवैधानिक संस्थाओं, केन्द्र सरकार, राज्य शासन, उसके अधीन समस्त शासकीय उपक्रमों, शासकीय संस्थाओं तथा उनके समस्त पदाधिकारियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का विज्ञापन, फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, वाक्य, शब्द, इत्यादि आपत्तिजनक या अपमानित करने वाला प्रदर्शन नही किया जाएगा।

क्रमशः पृष्ठ....04

Scanned by CamScanner

39. फर्म द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड में केन्द्र सरकार व राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित किसी भी संगठन के प्रचार–प्रसार अथवा उनके द्वारा किसी कार्यक्रम के प्रयोजन–आयोजन से संबंधित कोई भी सूचना, विज्ञापन या प्रचारात्मक सामग्री का प्रदर्शन नही किया जाएगा।

40. लघु विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नही किया जाएगा।

41. लघु विज्ञापन बोर्ड में विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समस्त सामग्रियों यथा फ्लेक्स, कपड़ा या अन्य कोई प्रयुक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की एवं पर्यावरण विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिएं। ऐसी सभी सामग्रियां होर्डिंग्स की संरचना में व्यवस्थित रूप से लगी होनी चाहिए।

42. लघु विज्ञापन बोर्ड में प्रदर्शित किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के मौखिक अथवा लिखित निर्देश पर उसे 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से हटाना होगा।

43. ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री 24 घण्टे के अन्दर नही हटाए जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वह उसे हटा दे तथा इस पर होने वाला व्यय फर्म से विधि अनुरूप उसकी वसूली करें, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के दौरान किसी भी क्षति या नुकसान के लिए नगर पालिक निगम, रायपुर जिम्मेदार नही होगा।

44. एक बार बोर्ड लग जाने के बाद बोर्ड की संरचना का विज्ञापन प्रदर्शित वाला क्षेत्र सामग्री/फ्लेक्स रहित (Uncovered) नही होना चाहिए, बिना विज्ञापन की अवधि के दौरान अथवा तेज हवा–बरसात या अन्य किन्ही कारणों से कटे–फटे फ्लेक्स/प्रदर्शित सामग्री इत्यादि को तत्काल बदलना होगा ताकि होर्डिंग्स गंदा या भद्दा (Indecent) न दिखें।

45. लघु विज्ञापन बोर्ड में प्रदर्शित सामग्री यदि किसी प्रकार से होर्डिंग्स से अलग होती है अथवा हवा में लहराने लगे या खतरनाक स्थिति में हो तो इसे तत्काल ठीक करना होगा, फर्म का यह दायित्व होगा कि वह होर्डिंग्स का नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि किसी भी संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकें।

46. लघु विज्ञापन बोर्ड की स्थापना से उसके लगे रहने की संपूर्ण अवधि तक किसी भी जान–माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि/क्षति के लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी, किसी भी नुकसान, हानि, क्षति की संपूर्ण भरपाई एजेंसी द्वारा ही की जायेगी या एजेंसी द्वारा यदि इंश्योरेंस कराया जाता है तो यह जवाबदारी संबंधित इंश्योरेंस कंपनी की होगी।

47. नगर पालिक निगम, रायपुर किसी भी प्रकार से किसी भी क्षति और हानि के लिए जिम्मेदार नही होगा और ना ही उससे ऐसी किसी क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकेगी।

48. निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को किराए पर दिए लघु विज्ञापन बोर्ड (क्योस्क) की संख्या में से 5 (पांच) प्रतिशत बोर्डो पर एक वर्ष में न्यूनतम एक माह व अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए, आयुक्त नगर निगम, रायपुर के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन के अनुसार प्रचार–प्रसार सामग्री स्वयं के व्यय से फ्लेक्स बनाकर प्रदर्शित करना होगा।

49. एजेन्सी को केंन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा नगर पालिक निगम के लागू व प्रचलित तथा समय–समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा तथा भविष्य में लागू/अधिरोपित किए जाने वाले शुल्क, सरचार्ज इत्यादि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।

50. नियमों एवं शर्तो का उल्लंघन किए जाने पर रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा कारण बताओं सूचना जारी किया जाएगा, जिसका एजेन्सी को 3 कार्य दिवसों में कारण बताया जाना होगा अन्यथा निर्देशों का उल्लंखन माना जाएगा, इसके लिए आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी :–

(अ) पहली बार निगम उल्लंघन पर रू. 3,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
(ब) दुसरी बार नियम उल्लंघन पर रू. 5,000/– अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा ।
(स) तीसरी बार नियम उल्लंघन पर रू. 10,000/– अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

कमशः पृष्ठ....05

Scanned by CamScanner

51. एजेंसी द्वारा नियम एवं शर्तो का उल्लघन किए जाने की स्थिति में लघु विज्ञापन बोर्ड व सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी तथा बकाया राशि भू–राजस्व की तरह वसूल की जायेगी ।

52. किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) के अधीन होगा।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर

Scanned by CamScanner